

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1894] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894
No. 1894] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 30th March 1972

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the President hereby makes the following Order to amend the Assam Reorganisation (Meghalaya) Distribution of Revenues Order, 1971, namely:—

1. (1) This Order may be called the Assam Reorganisation (Meghalaya) Distribution of Revenues Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Assam Reorganisation (Meghalaya) Distribution of Revenues Order, 1971, in paragraph 4, for the figures "17.62" occurring under the column 1971-72, the figures "17.07" shall be substituted.

[No. F. 12(5)-B/71.]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

का० आ० 247(अ).—असम पुनर्गठन (मेघालय), 1969 (1969 के 55वें अधिनियम) की धारा 56 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा असम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व वितरण आदेश, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को असम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व वितरण संशोधन आदेश, 1972 कहा जायेगा।

(2) यह तत्काल लागू हो जायेगा।

2. असम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व वितरण आदेश, 1971 के पैराग्राफ 4 में 1971-72 के स्तम्भ के अन्तर्गत "17.62" संख्या के स्थान पर "17.07" संख्या रखी जायगी।

[सं० एफ० 12(5)—बी०/71]

बी० मन्त्रियन, संयुक्त सचिव।